

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

सांविधिक संस्थान निफ्ट अधिनियम २००६ वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

NATIONAL INSTITUTE OF FASHION TECHNOLOGY

A Statutory Institute under the NIFT Act 2006 Ministry of Textiles, Government of India

4790(3)/ Bldg/ Artificial Grass Turf/ 2019

दिनांक 05/07/2024

भाव पत्रक / Rate Enquiry Letter

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) मुंबई द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करता हैं। निफ्ट, बिना कोई कारण बताए निम्नतम या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

Sealed Quotations are hereby invited by NIFT Centre, Mumbai for the following work. The undersigned reserves the right to accept or reject the lowest or all the quotations without assigning any reasons.

कार्य का नाम: प्लाट संख्या 15 सेक्टर-04, खारघर, नवी मुंबई के शैक्षणिक खंड- । में स्थित कक्ष संख्या -310 मे फाल्स सीलिंग लगाने का कार्य हेतु।

Name of Work: False Ceiling work at Room No.310 Academic Block-I at NIFT Campus Plot No. 15, Sector-04, Kharghar, Navi Mumbai.

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	मात्रक	मात्रा	दर (रुपये)	राशि (रुपये)
1.	Providing and fixing 12.5 mm thick false ceiling tiles at all heights with integral densified calcium silicate reinforced with fibre and natural filler false ceiling tiles of Size 595x595 mm of approved texture, design and in true horizontal level on the existing frame work consisting of T-sections and L sections suitably fixed according to tile size and providing & fixing of additional framework & additional dry wall screws, nuts & bolts & jointing compound etc if required as per direction of Engineer-incharge.	Sq. mt.	110		
2.	Dismantling aluminium/ Gypsum partitions, doors, windows, fixed glazing and false ceiling	Sq. mt.	110		
	including disposal of unserviceable material and				
	stacking of serviceable material with in 50				

Date:

Seal and signature of the Agency

डिज़ाइन, मैनेजमेंट और प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

A Premier Institute of Design, Management and Technology

(An ISO 9001: 2015 certified institute)

Joint Director

Page 1 of 4

निफ़्ट कैम्पस, प्लॉट नं. 15, सेक्टर 4, खारघर, नवी मुंबई - 410210, महाराष्ट्र NIFT Campus, Plot No.15, Sector 4, Kharghar, Navi Mumbai - 410210, Maharashtra © + 91 022 27747000 | + 91 022 27747100 | + 91 022 27745386 | e: nift.mumbai@nift.ac.in

www.nift.ac.in



ē <u>u</u>	meters lead as directed by Engineer-in-charge.				
3.	Painting with aluminium paint of approved brand and manufacture to give an even shade: One or more coats on old work.	Sq. mt.	50		
	कुल / Total				
	जी एस टी / GST @				
	कुल योग / Net Total				

नियम एवं शर्ते / Terms & Conditions:

- 1) मोहरबंद भाव पत्रक जमा करने की अंतिम तिथि 10 July 2024 को अपराह: 3 बजे तक है। Last date of receipt of sealed Quotation is 10/07/2024 upto 3.00 pm.
- 2) बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत कुल राशि के आधार पर सफल एजेंसी का निर्णय लिया जाएगा। L1 agency will be decided based on the total amount quoted by bidders.
- 3) एजेंसी को कार्य करने के लिए निफ्ट अधिकारी द्वारा स्वीकृत सामग्री का उपयोग करना हैं। The work shall be executed with material as approved by NIFT official.
- 4) कार्य के मूल्य/ दर, उपयोग में आने वाले सामान, किराया, परिश्रम और उपयुक्त कर सहित उद्धृत करने चाहिए, जीएसटी के आलावा अलग से किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा | The quoted rates will be inclusive of cost of all material requires, transportation, labour and taxes as applicable, nothing shall be paid extra except GST.
- 5) कोई अग्रिम भ्गतान नहीं किया जाएगा। No advance payment will be made.
- 6) एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी घटिया गुणवत्ता वाले कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा और उस पर 3% जुर्माना लगाया जाएगा। Payment will not be made for any substandard quality work done by agency and 3% of penalty will be levied on it.
- 7) एजेंसी को कार्य, कार्य आदेश प्राप्ति से 02 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। The agency has to complete the work within 02 days after receipt of work order.

Seal and signature of the Agency

Date:

Joint Director
Page 2 of 4



- 8) एजेंसी को सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखकर कार्य का निष्पादन करना चाहिए और वह अपने कामगारों की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेवार होगी। The agency should execute the work keeping safety rules in mind and will be responsible for the safety of its workers.
- 9) कार्य करने समाप्ति पर कार्य की मात्रा भिन्न हो सकती है इसलिए कार्य का भुगतान वास्तविक आधार पर बिल और पैमाइश जमा करने पर किया जाएगा। Quantity of work may vary at the time of execution, hence payment shall be made on actual basis on submission of bill with measurement sheet.
- 10) कार्य को पूरा करने के लिए यदि किसी अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता हो तो बिना किसी अतिरिक्त लागत के करना होगा, इस प्रयोजन के लिए कोई भ्गतान नहीं किया जाएगा। To complete the work if required any additional work same will be carry out without any additional cost, no payment made for this purpose.
- 11) मापदंड के अनुसार एजेंसी द्वारा किया गए जीएसटी के भुगतान का प्रमाण प्राप्त होने के बाद ही निफ्ट द्वारा एजेंसी को भ्गतान जारी किया जाएगा। The payment will be released by NIFT to the agency only after the submission of proof of payment of GST made by the agency as per the criteria is received.
- 12) कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर निफ्ट के अनुसार एजेंसी को कार्य की मरम्मत करनी होगी। In lieu of any defect, the work shall be repaired by the agency if NIFT desires so.
- 13) कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य के दौरान कार्य स्थल को तिरपाल से ढकना होगा, यदि निफ्ट की संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो इसकी मरम्मत एजेंसी को करनी होगी। । The work site will have to be covered with tarpaulin before the work starts, during the work If there is any damage to the NIFT property, it will have to be repaired by the agency.
- 14) कार्य शुरू होने के बाद शनिवार और रविवार के दौरान ही कार्य पूरा करना होगा। After the work starts, the work will have to be completed within during Saturday and Sunday only.
- 15) कार्य पूरा होने के बाद साइट को साफ किया जाना चाहिए और परिसर से किसी भी बेकार सामग्री/सामान/ विघटित सामग्री/न उपयोगी वस्तू को हटा दिया जाना चाहिए और उसे बिना किसी अतिरिक्त लागत/मुफ्त लागत साथ और इस न उपयोगी वस्तू को स्थानीय नगरपालिका मैदान में डंप किया जाना चाहिए।

of the work the site should be cleaned and any After materials/stuffs/rabbit/muck to be removed from the campus and same should be dump at local municipal ground without additional cost/free of the cost.

Seal and signature of the Agency

Date:

S Page 3



- 16) किसी भी विवाद के मामले में न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र नवी मुंबई होगा। In case of any dispute the Jurisdiction of Court will be Navi Mumbai
- 17) प्रतिस्पर्धी मूल्य/दरों को कोट करने से पूर्व, कार्य और स्थल के भौतिक मूल्यांकन और पैमाइश के बारे में स्पष्टीकरण के लिए (यदि कोई हो तो), एजेंसी निफ्ट के अधिकारी से कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकती है।

The Agency must visit the campus and Contact to NIFT's Official for clarifications about physical assessment of area/work to be furnished and about measurement etc. before quoting the competitive rates.

• जीएसटी मापदंडो के अनसार लाग होगा / GST will be applicable as per norms.

क्रम	पंजीकरण का विवरण	पंजीकरण संख्या Registration
संख्या	Details of Registration	No.
1.	जी एस टी / GST	
2.	पैन कार्ड / Pan Card	

संयुक्त निदेशक 05/07/24 निफट मुंबई

एजेंसी का नाम और पताः							
मैसर्स 							
 दूरभाष न							

Seal and signature of the Agency

Date:

Joint Director